न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1172/2021

अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण साकिन ननाऊ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. आजाद सिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. करणीसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. तारासिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. बिरजूसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. सायरसिंह उर्फ सणरसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
6. मन्जु कंवर पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी, अधिवक्ता **वादीगण**

श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 13/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 244/236 की कुल 35.5110 हैक्ट भूमि जिसमें से नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर के 9467/59185 हिस्सा अर्थात 5.6802 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह ने अपने हिस्से की भूमि में से रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 244/236 की कुल 35.5110 हैक्ट भूमि में से 9467/59185 हिस्सा अर्थात 5.6802 हैक्ट भूमि में से 5 बिस्वा भूमि अर्थात 0.06325 हैक्ट भूमि का बेचान कर दिया वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम दर्ज 5.6802 हैक्ट भूमि में से 0.06325 हिस्सा भूमि में कलमजन करवाकर अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के मध्य वादी का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 नारायणसिंह के फौत हो जाने के बाद उनके द्वारा बैय की गई भूमि में 0.06325 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार तस्लीम करते है। उक्त भूमि का वादी के पक्ष में रजि0 बैयनामा है तथा राजस्व अमला माल द्वारा सहबन तौर से वादी के पक्ष में समय पर नामान्तरण दर्ज किये जाने से रह गया, चूंकि भूमि रजि0 बैयनामा से खरीद की गई है जिसका नामान्तरण दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी दफा कहा की वादी की खरीद शुदा भूमि उसके नाम दर्ज करवा दे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 244/236 की कुल 35.5110 हैक्ट भूमि जिसमें से नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर के 9467/59185 हिस्सा भूमि में खसरा न0 382 की 0.06325 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री मांगीराम बैनीवाल द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ननाउ खाता संख्या 244/236 सम्वत 2070–73 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपी बैयनामा दिनांक 22.05.2000 आदि पेश किये।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण के पिता नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह ने अपने हिस्से की भूमि में से रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 244/236 की कुल 35.5110 हैक्ट भूमि में से 9467/59185 हिस्सा अर्थात 5.6802 हैक्ट भूमि में से 5 बिस्वा भूमि अर्थात 0.06325 हैक्ट भूमि का बेचान कर दिया वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम दर्ज 5.6802 हैक्ट भूमि में से 0.06325 हिस्सा भूमि में कलमजन करवाकर अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा भी वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 244/236 की कुल 35.5110 हैक्ट भूमि में से 9467/59185 हिस्सा भूमि नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा से स्पष्ट है कि नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह ने अपने हिस्से की भूमि में से रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 244/236 की कुल 35.5110 हैक्ट भूमि में से 9467/59185 हिस्सा अर्थात 5.6802 हैक्ट भूमि में से 5 बिस्वा भूमि अर्थात 0.06325 हैक्ट भूमि का बेचान वादी को किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब दावा पेश

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर निवेदन किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 244/236 की कुल 35.5110 हैक्ट भूमि में से 9467/59185 हिस्सा अर्थात 5.6802 भूमि नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज है में से 0.06325 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 5.61695 हैक्ट भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो बाद रहन मुक्त तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 1172 / 2021
अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण साकिन ननाऊ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. आजाद सिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. करणीसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. तारासिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. बिरजूसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. सायरसिंह उर्फ सणरसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
6. मन्जु कंवर पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1172 सन 2021 निर्णय दिनांक.......13/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी व वकील प्रतिवादी श्री मांगीराम बैनीलवा की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 244 / 236 की कुल 35.5110 हैक्ट भूमि में से 9467 / 59185 हिस्सा अर्थात 5.6802 भूमि नारायणसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज है में से 0.06325 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 5.61695 हैक्ट भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो बाद रहन मुक्त तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested